

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय



लोक लेखा समिति

(2022-23)

तेरहवीं विधान सभा

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

समिति के 142वें प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित।

254वां कार्रवाई प्रतिवेदन

(दिनांक: 12.08.2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1-2)

समिति का गठन

सभापति

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्य

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से समिति के **वें कार्रवाई प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा)** जोकि भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 20 14-15(सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के 142वें मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर आधारित है को सदन में उपस्थापित करती हूँ।


समिति का गठन, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 तथा 211 के अन्तर्गत, अधिसूचना सं० वि०स०-विधायन-समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28.03.2022 द्वारा किया गया।

सामिति का 142वाँ मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) विभाग को दिनांक 16.09.2020 को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जिसके उत्तर विभाग ने 31.12.2020 व 12.07.2021 को विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध करवाए। जिस पर कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार किया गया है। समिति द्वारा उक्त मूल प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें निम्न प्रकार से वर्गीकृत है :-

- | | | |
|-------|---|----|
| (i) | सिफारिशें | 08 |
| (ii) | सिफारिशें जिन्हें सरकार ने मान लिया है या जिनके उत्तर से समिति संतुष्ट है। | 05 |
| (iii) | सिफारिशें जिनके विभागीय उत्तर/कार्रवाई से समिति संतुष्ट नहीं हुई तथा (1.8, 3.3 व 3.3.2.2,) जिस पर पुनः विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है। | 03 |

सामिति ने **दिनांक 18.07.2022** की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव विधान सभा तथा अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करती है, जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करने में आवश्यक सहयोग दिया।



(आशा कुमारी)

सभापति,

लोक लेखा समिति।

दिनांक: 18.07.2022

शिमला-171004

कार्रवाई प्रतिवेदन

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

लोक लेखा समिति के 142वें प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर आधारित वां कार्रवाई प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा)।

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों

पैरा संख्या:2.3.7.1 पैरा संख्या : 2.3.7.2 पैरा संख्या: 3.3.2 पैरा संख्या: 3.3.3.1 पैरा संख्या: 3.3.4 3.3.4.1	वर्दियों के वितरण में विलम्ब मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के वितरण में विलम्ब वित्तीय निष्पादन स्कीम का प्रभाव स्कीम के अन्तर्गत गुणवत्ता वाले खाद्यान की आपूर्ति खाद्यानों की अच्छी औसत गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण संचालित नहीं किया जाना
	<p style="text-align: center;">टिप्पणी</p> समिति ने विभागीय उत्तर पर विचार-विमर्श करने उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया।
पैरा संख्या: 1.8	लेखा परीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी सिफारिश समिति को लम्बित 234 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 573 पैराज के समायोजन की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।
पैरा संख्या: 3.3	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायक कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन स्कीम) सिफारिश समिति को शेष रसोई शालिकाओं के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएं।
पैरा संख्या: 3.3.2.2	अर्जित किए गए ब्याज की प्रतिधारणा सिफारिश जमा की गई राशि से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
पैरा संख्या: 1.8	लेखा परीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी: सिफारिश समिति को लम्बित 234 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 573 पैराज के समायोजन की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया जाए।
